UPSI120001482004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–116/2004

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

बनाम

01– छोटकन्नू पुत्र फकीरे रैदास,
02– चन्दर उर्फ रामचन्दर पुत्र फकीरे रैदास,
03– नम्मु पुत्र फकीरे रैदास,
04– सुंदर पुत्र कल्लू, सर्व निवासीगण ग्राम लच्छीपुर, थाना रामपुरकलां, जनपद सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–145/2003
धारा–323, 324, 325,भा०दं०सं०
थाना रामपुरकलाँ, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

वादी मुकदमा दिनेश कुमार, के द्वारा थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना रामपुरकलाँ की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण छोटकन्नू, चन्दर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुन्दर के विरुद्ध अपराध संख्या–145/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा वादी मुकदमा दिनेश कुमार के द्वारा थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवाई गई कि प्रार्थी दिनेश सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी रामपुर कला जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 13.11.2003 को मैं लच्छीपुर गन्ना छिलवाने के लिए लेबर लेने गए थे। अवगत हुआ गांव के पश्चिम के उधर लेबर मिलेंगे। जहां पर जब पहुंचे तो वहां पर जुआ हो रहा था। छुटकुन्नू पुत्र फकीरे ने मुझसे कहा कि दिनेश भाई मुझको ₹100 दे दीजिए तो मैंने कहा कि तुम्हारा भाई नम्मू पुत्र फकीरे निवासी लच्छीपुर को मैंने ₹100 पिछले साल दिए थे न ही काम ही किया है और न ही पैसा दिया है। मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। इस पर छुटकुन्नू पुत्र फकीरे ने चाकू से मुझ पर वार कर दिया। तब मैंने पकड़ लिया तब चन्दर पुत्र फकीरे व सुंदर पुत्र कल्लू ईंटों से मारने लगे तथा नम्मू पुत्र फकीरे ने लात घूसों से मारने लगे। शोर होने पर गांव के लोग राजेश पुत्र राजेंद्र, शेखर व रमाकांत पुत्र राम अवतार व मंगल सिंह पुत्र बराती सिंह घटना पर पहुंचे तब यह लोग भाग गए थे। घटना 1:30 बजे दिन की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी सूचनार्थ प्रेषित है। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना रामपुरकलाँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 145/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण छोटकन्नू, चन्दर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुन्दर के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.20 17:32:11 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 12.01.2006 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
1.	राकेश कुमार	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
2.	रमाकान्त	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
3.	मंगल सिंह	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	**प्रलेख**	**प्रदर्श**
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	क [1]
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	–
4.	नक्शा नजरी	–
5.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट दिनेश सिंह	–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 18.05.026 को अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को कोई मारपीट नहीं हुई, साक्षी पी०डब्लू० 1 राकेश कुमार, पी०डब्लू० 02 रमाकान्त व पी०डब्लू० 03 मंगल सिंह के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी पी०डब्लू० 01 राजेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनेश मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है। घटना आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की है। तारीख मुझे याद नहीं है। दिन के 01:30 बजे की बात है। मैं बाग में बैठा था। लच्छीपुर गांव के पास दिनेश के साथ क्या घटना हुई मुझे नहीं मालूम। दिनेश को चोट कैसे लगी मुझे नहीं मालूम है। मेरी जानकारी में दिनेश की हड्डी नहीं टूटी है। मेरी जानकारी में दिनेश के साथ मारपीट नहीं की कोई घटना नहीं हुई है। मेरे सामने अभियुक्तगण छुट्कन्नू, चन्दर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुंदर ने न तो एक राय होकर दिनेश को मारा पीटा था न ही चाकू व ईटा मारकर दिनेश को गंभीर चोट पहुंचाई थी। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गई। अभियोजन द्वारा जिरह में गवाह को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान

पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इंकार करते हुए कहा कि दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिखा मैं इसकी कारण नहीं जानता हूँ । यह कहना गलत है कि मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरे सामने सामान्य आशय से दिनेश को ईटा, चाकू से व लात घूंसा से मारा पीटा था। यह भी कहना गलत है कि किसी के जोर दबाव में आकर न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ ।

पी०डब्लू० 02 रमाकांत ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनेश मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है। घटना आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की है। तारीख मुझे याद नहीं है। दिन के करीब 1:30 बजे मैं बाग में बैठा था। लच्छीपुर गांव के पास दिनेश के साथ क्या घटना हुई मुझे नहीं मालूम है। दिनेश के चोट कैसे लगी मुझे नहीं मालूम है। मेरी जानकारी में दिनेश की कोई हड्डी नहीं टूटी है। मेरी जानकारी में दिनेश के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। मेरे सामने अभियुक्तगण छुट्कन्नू, चंदर उर्फ रामचंद्र, नम्मू व सुंदर ने न तो एक राय होकर दिनेश को गंभीर चोट पहुंचाई। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गई। अभियोजन द्वारा जिरह में गवाह को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा कि दरोगा जी ने मेरा कैसे बयान कैसे लिया मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ । यह कहना गलत है कि मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरे सामने सामान्य आशय से दिनेश को ईटा, चाकू व लात घूसों से मारा था। यह भी कहना गलत है कि मैं किसी के जोर दबाव में आकर न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

पी०डब्लू० 03 मंगल सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनेश मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है। घटना आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की है। तारीख मुझे याद नहीं है। दिन के करीब 1:30 बजे मैं बाग में बैठा था। लच्छीपुर गांव के पास दिनेश के साथ क्या घटना हुई मुझे नहीं मालूम है। दिनेश के चोट कैसे लगी मुझे नहीं मालूम है। मेरी जानकारी में दिनेश के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। मेरे सामने अभियुक्तगण छुट्कन्नू, चंदर उर्फ रामचंद्र, नम्मू व सुंदर ने न तो एक राय होकर दिनेश को गंभीर चोट पहुंचाई। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गई। अभियोजन द्वारा जिरह में गवाह को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा कि दरोगा जी ने मेरा कैसे बयान कैसे लिया मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ । यह कहना गलत है कि मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरे सामने सामान्य आशय से दिनेश को ईटा, चाकू व लात घूसों से मारा था। यह भी कहना गलत है कि मैं किसी के जोर दबाव में आकर न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 राजेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की है। दिन के 01.30 बजे की बात है। **मेरे सामने अभियुक्तगण छोटकन्नू, चन्दर उर्फ राम चन्दर, नम्मू व सुन्दर ने न तो एक राय होकर दिनेश को मारा पीटा था न ही चाकू व ईंटा मार कर दिनेश को गम्भीर चोट पहुँचाई थी।** साक्षी पी०डब्लू० 02 रमाकान्त ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की है। तारीख मुझे याद नहीं है। **दिनेश को चोट कैसे लगी मुझे नहीं मालूम है। मेरी जानकारी में दिनेश की कोई हड्डी नहीं टूटी है।** साक्षी पी०डब्लू० 03 मंगल सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनेश को चोट कैसे लगी मुझे नहीं मालूम है। मेरी जानकारी में दिनेश के साथ कोई मार पीट की घटना नहीं हुई। **मेरे सामने अभियुक्त छोटकन्नू, चंदर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुन्दर ने न तो एक राय होकर दिनेश को गम्भीर चोट पहुँचाई।** दरोगा जी ने मुझसे कोई पूँछताँछ नहीं की। पत्रावली पर साक्ष्य का सूत्र का अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत व्यक्त करता है। यह सही है कि

ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा **अभियोजन साक्ष्य में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।** उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते (Court not functus officio because of expert opinion) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

दौरान अंतिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के तीनों गवाहों ने प्रथम दृष्टया घटना को प्रमाणित नहीं किया है और अभियोजन अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साक्षियों को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ रहा है। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष अनुपस्थित है।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs, State OF U.P.– Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] –Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court) Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him

guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence. For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तीनों साक्षियों द्वारा घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केश सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अनुपस्थित है, जिस कारण अभियुक्तगण **छोटकन्नू, चन्दर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुन्दर** पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **छोटकन्नू, चन्दर उर्फ रामचन्दर, नम्मू व सुन्दर** पर लगाये गये आरोप अपराध संख्या 145/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325 भा०दं०सं०, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर से दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 20.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 20.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 20.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–